न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 31/2023

जीसीएमएस सं. – 2023/85

–:: वादीगण ::–

1. भंवरलाल पुत्र मोतीराम
2. फरसाराम पुत्र भानाराम

जातियान जाट निवासीगण ग्राम मलार तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. लालाराम पुत्र कंवराराम
2. अमृत पुत्र कंवराराम
3. पकतावराम उर्फ बगतावरराम पुत्र कंवराराम
4. रामलाल पुत्र कंवराराम
5. संग्रामसिंहु पुत्र कंवराराम
6. भूराराम पुत्र घमण्डाराम फोत के कायम मुकाम :–

6/1 मदनलाल पुत्र भूराराम फोत के कायम मुकाम :–

6/1/1 दिनेश पुत्र मदनलाल
6/1/2 रामभरोस पुत्र मदनलाल
6/1/3 रामप्रसाद पुत्र मदनलाल
6/1/4 कौशल्या पुत्री मदनलाल
6/1/5 बाउ पत्नि मदनलाल

7. रामनारायण पुत्र घमण्डाराम
8. मंगलाराम पुत्र पाबुराम
9. मनोहरराम पुत्र पाबुराम
10. मीरा पुत्री पाबुराम
11. लाखाराम पुत्र पाबुराम
12. सीता पुत्री पाबुराम

जातियान जाट निवासीगण ग्राम मलार तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

13. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैकं शाखा सालवाखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 27.03.2023

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मंसूर अली छीपा, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री उदयसिंह कच्छावाह अधिवक्ता, प्रतिवादीगण 1 से 12

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय **दिनांक : 01.01.2024**

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो इस प्रकार से हैं कि ग्राम मलार तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 582 रकबा 2.2652 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 585 रकबा 2.2652 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे दो कुल रकबा 4.5304 हैक्टेयर भूमि आई हुई हैं जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की प्रस्तुत की। वादीगण ने वाद में बताया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता कंवराराम ने जरिये पंजीबद्व बेचाननामा के संयुक्त रुप से पेमाराम, राजूराम व मानाराम पिसरान श्रीराम जातियान जाट निवासीगण बाड़ा कलां से दिनांक 27.03.1979 को खरीद की जो बैचाननामा उपपंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 48 पृष्ठ संख्या 253 से 256 व कम संख्या 499 पर पंजीबद्वसुदा हैं। बैचाननामें में वादीगण का पृथक–पृथक रुप से 1/3–1/3 वॉ हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 वॉ हक हिस्सा दर्शित हैं तथा बैचाननामें की प्रति प्रस्तुत की। कंवराराम के देहान्त के बाद उनके वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी नामान्तरण से इन्द्राज होना बताया। वादीगण ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को यह जानकारी थी कि उनके पिता कंवराराम का वादग्रस्त आराजी में 1/3 वॉ हिस्सा था इसके बावजूद वादीगण को सदोष हानि पहुॅचाने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 वॉ हिस्सा बताते हुए कूटरचित बैचाननामा दिनांक 27.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/5 के पिता/पति भूराराम व प्रतिवादी संख्या 7 तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के पिता पाबूराम पुत्र घमण्डाराम जातियान जाट निवासीगण मलार के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय भोपालगढ में पंजीबद्व करवाया जिसमें हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किये जाने से पंजीबद्व बैचाननामा दिनांक 27.05.2013 प्रभावशून्य दस्तावेज हैं। पाबूराम व भूराराम का देहान्त हो चुका हैं तथा तथाकथित बैचाननामा की आड़ में प्रतिवादीगण ने नामान्तरण संख्या 934 अपने नाम से इन्द्राज करवा लिया जो शून्य हैं जिसे वादीगण शून्य व निरस्त घोषित करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 लालाराम ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/8 वॉ हिस्सा अंकन करते हुए अपना 1/40 वॉ हिस्सा बताकर एक दानपत्र दिनांक 27.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पक्ष में निष्पादित कर दिया जो उपपंजीयक कार्यालय भोपालगढ में पंजीबद्व हैं जो कि हिस्से से अधिक का बैचान होने से शून्य हैं तथा वादीगण को शून्य दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 934 को निरस्त करवाने का अधिकार हैं। वादीगण ने बताया कि उनका वादग्रस्त आराजी में 1/3–1/3 वॉ हक हिस्सा निहित हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता कंवराराम का भी 1/3 हिस्सा निहित था इसलिए वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जावें तथा माफिक हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा की डिक्री जारी की जावे व सभी प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से में व उपयोग उपभोग में दखलदांजी करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें व वादपत्र को न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होना बताते हुए अपनी इस्तदुआ में वादीगण ने बताया कि उनका वादग्रस्त आराजी में 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित था उसी अनुसार बैचाननामा व दानपत्र को मद्देनजर रखते हुए उनके सही हिस्से तक खातेदारी घोषणा की जाकर वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा किया जावे व उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादीगण के वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया।

वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताय किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा हैं वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा हैं तथा वादग्रस्त आराजी का बैचाननामा दिनांक 27.03.1979 से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3–1/3 हिस्सा हैं जो वादीगण को दिये जाने पर प्रतिवादीगण ने अनापत्ति जाहिर की तथा अंकन किया कि बैचाननामा व दानपत्र दिनांक 27.05.2013 में सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा होना अंकित कर भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया जिससे हिस्से गलत दर्ज हो गये तथा प्रतिवादीगण ने अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लालाराम को अन्य जगह हिस्सा दे देने से किसी प्रकार का हिस्सा नहीं रखा जावें तथा वादग्रस्त आराजी में खसरा संख्या 585 में वादी संख्या 1 भंवरलाल को 0.7551 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 582 में 0.7551 हैक्टेयर भूमि दी जावे जिससे भंवरलाल का 1/3 हिस्सा पूर्ण हो जायेगा व खसरा संख्या 585 में 1.5101 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 2 परसराम उर्फ फरसाराम के हक में रखी जावे जिससे कि वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा पूर्ण हो जायेगा तथा खसरा संख्या 582 में रकबा 1.5101 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 6/1 से 6/5 तथा 7 से 12 के हक में रखी जावें जिससे कि इनका हक हिस्सा पूर्ण हो जावें यानि प्रतिवादीगण ने वादीगण का वादपत्र स्वीकृत किये जाने पर आपत्ति जाहिर नहीं की।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रुप से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्षकारान ने न्यायालय के समक्ष मुख्य रुप से बताया कि वादग्रस्त आराजी का आपसी राजीनामें से बंटवाड़ा कर लिया हैं तथा राजीनामें के साथ बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण सहमत हैं तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा की अंतिम डिक्री पारित करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लालाराम ने स्वयं उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हक हिस्सा नहीं हैं इसलिए वादग्रस्त आराजी से उसका नाम हटाया जावें।

उभय पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहने से व सभी पक्षकारान आपसी राजीनामें से प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा की डिक्री पारित करवाने हेतु सहमत होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

बहस वकुलाय सुनी गयी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण ने संयुक्त रुप से जाहिर किया कि राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी में खसरा संख्या 585 में वादी संख्या 1 भंवरलाल को 0.7551 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 582 में 0.7551 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावें व खसरा संख्या 585 में 1.5101 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 परसराम उर्फ फरसाराम को खातेदार घोषित किया जावें तथा खसरा संख्या 582 में रकबा 1.5101 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 6/1 से 6/5 तथा 7 से 12 को संयुक्त रुप से खातेदार घोषित किया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 लालाराम का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाने की घोषणा की जावें व सभी पक्षकारान एक दूसरे के हक हिस्से में दखलदांजी नहीं करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया व अंतिम डिक्री बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार जारी करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर शहर (जोधपुर)

हमने बहस वकुलाय सुनी व पत्रावली का व उसमें उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी में बैचाननामा दिनांक 27.03.1979 के

अनुसार वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता कंवराराम का 1/3 हिस्सा खरीदसुदा था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अपने पिता कंवराराम का 1/2 हिस्सा दर्शित करते हुए बेचाननामा व दानपत्र दिनांक 27.05.2013 निष्पादित किया है। चूंकि उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका हैं व पक्षकारान ने राजीनामा मय बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं जिससे सभी सहमत हैं इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव को तस्दीक किया जाता हैं व वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम मलार तहसील पीपाड़ शहर में स्थित खसरा संख्या 585 रकबा 2.2652 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 को 0.7551 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता हैं व खसरा संख्या 582 रकबा 2.2652 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 को 0.7551 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता हैं व वादी संख्या 2 को खसरा संख्या 585 रकबा 2.2652 हैक्टेयर में से 1.5101 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता हैं व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 6/1 से 6/5 व 7 से 12 को खसरा संख्या 582 रकबा 2.2652 हैक्टेयर में से 1.5101 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रुप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/5 का संयुक्त रुप से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का संयुक्त रुप से 1/4 हिस्सा 1.5101 हैक्टेयर में घोषित किया जाता हैं व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा जिसमें बंटवाड़े अनुसार तरमीम हेतु सीमाओं का अंकन किया हुआ हैं। भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त खातेदारी घोषणा अनुसार व बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शित बंटवाड़ा मय सीमा विवरण के अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा अमल दरामद करे व निर्णय अनुसार अलग–अलग पुख्ता तरमीम करे बाद आदेश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय अनुसार मूल डिक्री पर्चा जारी हो।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर